हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उकडी देवी बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 89/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 89/2021 **उकडी देवी** बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्थो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम धुन्धाडा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 695, 696 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अपना नाम गीगी के स्थान पर उकडी देवी पत्नि हडमानराम किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमाक/भूअ/2022/1817 दिनाक 12.04.2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी सवत 2071–74 मे प्रार्थीया का नाम ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 695,696 मे सहखातेदारी मे गीगी पत्नि हनुमानराम जाति पटेल निवासी धुन्धाडा खातेदार दर्ज है। चुकि प्रार्थीया का नाम जरिये वसीयत नोटोरी मुदा दिनाक 13.09.1993 के आधार पर उक्त खसरो मे जरिये नामान्तरकरण सख्या 647 के द्वारा अमलदरामद होने से रेकार्ड दुरूस्ती नही किया जाने की अनुशाषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई तथा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अत– प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	